फर्द अहकाम
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

रोड़ा ------------- विपक्षी ------------- दला

मुकदमा ------ वाद प्रा०पत्र ------ पत्रावली संख्या 103/22 ------ सन् ------

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
26.12.23 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित हुए। विपक्षीगण बाद तामिल आदिनांक उपस्थित नहीं हुए हैं एवं नही जवाब प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय द्वारा रुक रुक कर तीन बार आवाज लगवाई गई बावजुद इसके विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अत: विपक्षीगण के जवाब अवसर बंद किये जाते है। प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजीयात पर आपसी सहमति से कृषि कार्य एवं फसल बोने के लिए बैलगाडी एवं ट्रेक्टर आदि ले जाने हेतु अपने हिस्से पर जाने के लिए संयुक्त खातेदारी भूमि में से पॉच गज रास्ता छोड़ रखा है। लेकिन विपक्षीगण द्वारा अपनी साईड से पॉच गज रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है। विपक्षी संख्या 1 उक्त रास्ते के पास स्थित खेत पर जो ~~खेतलीनाम~~ खेतनामी तलीवाला है। जहॉ पर अपनी साईड ढाई गज रास्ता बिना छोड़े ही मकान व बाउण्ड्रीवाल बनाने हेतु नींव खोद दी है। अत: विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। पत्रावली का अवलोकन कर विस्तृत अध्ययन किया गया। विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात में छोड़े गए रास्ते पर अतिक्रमण करते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण का प्रकरण प्रतीत होता है। अत: मूल वाद के निस्तारण तक पक्षकारों के मध्य विवाद न हो वाद बाहुल्यता न हो इस हेतु प्रार्थी ~~का उभय पक्ष~~ को ~~कोई~~ (क्रिमशः-----)	

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर)

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

~~[illegible]~~ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर
प्रतिवादीगण को तावाद फैसला (प्रकरण संख्या 86/20 वाद
अनवान रोड़ा बनाम देला के निस्तारण तक) पाबन्द
किया जाता है कि राजस्व ग्राम नदी बेला पटवार
हल्का बोरी के आराजी संख्या 333, 334, 362, 369,
373, 445, 446, 447, 458, 459, 460, 461, 464, 465, 468,
469, 475, 477, 487, 488, 494, 495, 496, 497, 498, 501,
502, 503, 504, 505, 508, 509, 517, 521, 522, 526, 531, 550,
551, 552, 553, 554, 555, 630, 631, 632, 633, 680,
681, 684, 685, 688 कुल किता 53, रकबा 3.7900 हेक्टेयर
व आराजी संख्या 441, 443, 444, 466, 467, 486, 519, 520, 537
538, 539, 540, 544, 545 किता 14 रकबा 1.3150 हेक्टेयर भूमि के
प्रार्थीगण के हिस्से कब्जे एवं उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न
नहीं करे, न ही आपसी सहमति से छोड़े गए रास्ते को अवरुद्ध
करें। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।
प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)

प्रतिभा वर्मा
IAS
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी ... गिर्वा, उदयपुर)